



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 23, 1993/कार्तिक 1, 1915

No. 633] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 23, 1993/KARTIKA 1, 1915

क्याब मंत्रालय

शत्रिपुत्रता

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1993

का. आ. 816(अ) —केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रिय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 2 के खंड (ग) द्वारा पुरत शक्तिपों का प्रयोग करने हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित समदापों को "अल्पसंख्यक समुदापों" के रूप में शत्रिपुत्रिता करने है, अर्थात्:—

1. मुस्लिम
2. ईसाई
3. सिख
4. बौद्ध
5. पारसी

[का. सं. 1/11/93-एम.सी. (डी)]

पी.के. मोहन्ती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22th October, 1993

S.O. 816(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 2 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby notifies the following communities as “the minority communities” for the purposes of the said Act, namely :—

1. Muslims.
2. Christians.
3. Sikhs.
4. Buddhists.
5. Zoroastrians (Parsis).

[F. No. 1|11|93-MC(D)]
P. K. MOHANTY, Jt. Secy.